2019/00235

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

मेघचंद मीना पुत्र देवबक्स मीना, ग्राम शहराकर, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली
– अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, टोड़ाभीम, जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–17 / 19 ता.रजु–30.09.19

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–21.10.2019

1. उभय पक्ष उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक–30.06.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर खसरा नं. 103 पर फसल व चार दीवार कर अतिक्रमण, ग्राम शहराकर में स्थित गैर मुमकिन नाला भूमि, रेफरेन्स केस की प्रतिलिपि, ग्राम मकढोट में चारागाह भूमि व चारागाह भूमि पर कब्जा, ग्राम मकढोट में सिवायक भूमि व उस पर अतिक्रमण आदि से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 30.06.2019 को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न शुल्क का प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिसके अभाव में अपील चलने योग्य नहीं है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:18:04 IST
Reason: SelfAttested